क्रम-संख्या—189

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 12 अगस्त, 2004

श्रावण 21, 1926 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1233/सात-वि-1—1(क) 27-2004

लखनऊ, 12 अगस्त, 2004

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महेदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2004 पर दिनांक 11 अगस्त, 2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2004 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2004

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2004)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा जायेगा ।

(2) यह 21 नवम्बर, 2002 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 में सामान्य संशोधन

2–उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, शब्द ''मुख्य नगर अधिकारी'', ''अपर मुख्य नगर अधिकारी'', ''उप नगर अधिकारी'', ''सहायक नगर अधिकारी'', ''नगर प्रमुख'', ''उप नगर प्रमुख'', ''सभासद'' और सभासदों, शीर्षक, उपशीर्षक और पार्श्वशीर्षक सहित जहाँ कहीं भी आये हों, के स्थान पर क्रमशः शब्द ''नगर आयुक्त'', ''अपर नगर आयुक्त'', ''उप नगर आयुक्त'', ''सहायक नगर आयुक्त'', ''महापौर'', ''उप महापौर'', ''पार्षद'' और ''पार्षदों'' रख दिये जायेंगे।

धारा 5 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 5 में, खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

''(घ) इस अधिनियम के अधीन निगम के लिए नियुक्त एक नगर आयुक्त और एक या अधिक अपर नगर आयुक्त, नियुक्त करते हैं ''

धारा 16 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 16 में,–

(क) उपधारा (14) में शब्द ''अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाने की दशा में इस आख्या के सहित कि नगर प्रमुख ने धारा 19 के साथ पठित उपधारा (17) के उपबन्धों के अधीन त्याग-पत्र अग्रसारित किया है या नहीं'' के स्थान पर शब्द ''अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाने की दशा में'' रख दिये जाएंगे।

(ख) उपधारा (14) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात :–

''(14–क) राज्य सरकार उपधारा (14) में निर्दिष्ट आयुक्त की आख्या पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने के पश्चात एक माह के अन्दर निर्णय लेगी''।

(ख) राज्य सरकार द्वारा महापौर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिये जाने की दशा में ऐसी अस्वीकृति के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर उसी महापौर में अविश्वास के किसी पश्चातवर्ती प्रस्ताव की नोटिस स्वीकार नहीं की जायेगी।''

(ग) उपधारा (15) में शब्द ''दो तिहाई'' के स्थान पर शब्द ''तीन चौथाई'' रख दिये जायेंगे।

(घ) उपधारा (16) में शब्द ''दो तिहाई'' के स्थान पर शब्द ''तीन चौथाई'' रख दिये जायेंगे।

धारा 25 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 25 में,–

(क) उपधारा (1) में खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

''(घ) वह राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी उपक्रम या निकाय की सेवा में हों अथवा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउन्सेल अथवा अपर या सहायक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउन्सेल अथवा अवैतनिक मजिस्ट्रेट अथवा अवैतनिक मुंसिफ अथवा अवैतनिक असिस्टेंट कलेक्टर हो,''

(ख) उपधारा (4) में, खण्ड (2) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :–

''(3) निगम की किसी बैठक में इस प्रकार से बाधा उत्पन्न की है कि निगम के लिए उस बैठक का कार्य संचालन असम्भव हो जाय अथवा ऐसा करने के लिये किसी को उकसाया है; या

(4) निगम के किसी अधिकारी या कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार किया है; या

(5) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निगम की किसी सम्पत्ति को कोई हानि या क्षति पहुंचायी है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी हानि या क्षति के लिये दुष्प्रेरित करता है; या

(6) किसी अपराध के लिये, जिसमें राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है, सिद्धदोष ठहराया जाय।''

धारा 132 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 132 में,–

(क) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात :–

''(3-क) कोई ऐसी संविदा, जिसमें दो लाख रुपये से अधिक और चार लाख रुपये से अनधिक का व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, नगर आयुक्त द्वारा तब तक नहीं की जायगी जब तक कि उसे महापौर द्वारा स्वीकृत न कर दिया जाय''।

(ख) उपधारा (4) में शब्द ''पांच लाख रुपये'' के स्थान पर शब्द ''आठ लाख रुपये'' रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (5) में शब्द ''पचास हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''एक लाख रुपये'' और शब्द ''एक लाख रुपये'' के स्थान पर शब्द ''दो लाख रुपये'' रख दिये जायेंगे;

(घ) उपधारा (6) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी; अर्थात् :–

''(7) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, उपधारा (3) या उपधारा (4) या उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट आर्थिक सीमाओं को लागत में वृद्धि या कार्य की अत्यावश्यकता और निगमों की दक्षता को दृष्टि में रखते हुए उपान्तरित कर सकती है।''

धारा 135 का संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा 135 में,–

(क) पार्श्व शीर्षक में शब्द ''पाँच लाख रुपये'' के स्थान पर शब्द ''आठ लाख रुपये'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) में,–

(एक) शब्द ''एक लाख रुपये'' के स्थान पर शब्द ''दो लाख रुपये'' रख दिये जायेंगे;

(दो) प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जायेगा;

(ग) उपधारा (1) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थातः–

''(1-क) महापौर किसी तखमीने की जो चार लाख रुपये से अधिक न हो, स्वीकृति दे सकता है;

धारा 136 का संशोधन

8–मूल अधिनियम की धारा 136 में,–

(क) पार्श्व शीर्षक में शब्द ''पाँच लाख रुपये'' के स्थान पर शब्द ''आठ लाख रुपये'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) में शब्द ''पाँच लाख रुपये'' के स्थान पर शब्द ''आठ लाख रुपये'' रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (2) में, खण्ड (क) में शब्द ''दस लाख रुपये'' के स्थान पर शब्द ''सोलह लाख रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 177 का संशोधन

9–मूल अधिनियम की धारा 177 में,–

(क) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :–

''(ग) भवन, जो एकमात्र स्कूलों या इण्टरमीडिएट कालेजों के रूप में प्रयुक्त होते हों चाहे वे सहायतित हों अथवा न हों;''

(ख) खण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(ज) भवन स्वामी द्वारा अध्यासित आवासीय भवनों जो किसी ऐसे क्षेत्र में हो, जिसे पाँच वर्ष के भीतर निगम की सीमा में सम्मिलित किया गया हो अथवा उस क्षेत्र में सड़क, पेय जल और मार्ग प्रकाश की सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हो, जो भी पहले हो"।

धारा 207 का प्रतिस्थापन

10–मूल अधिनियम की धारा 207 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात:–

"207–नगर आयुक्त समय-समय पर नियमावली में विहित रीति के अनुसार नगर या उसके किसी भाग की क्षेत्रवार किराया दर और निर्धारण सूची तैयार करायेगा।"

निर्धारण सूची का तैयार किया जाना

धारा 207–ख का बढ़ाया जाना

11–मूल अधिनियम की धारा 207-क के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात :–

"207–ख (1) वार्षिक किराये के मूल्य के प्रयोजनों के लिये प्रत्येक भवन या भूमि का स्वामी या अध्यासी ऐसे दिनांक तक जैसा विहित किया जाय एक सम्पत्ति विवरणी प्रस्तुत करेगा।"

कर निर्धारण के लिये भवनों या भूमियों का विवरण प्रस्तुत किया जाना

(2) कोई व्यक्ति जो बिना उचित कारणों के उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहा हो, वह ऐसी शास्ति जो विहित की जाय, भुगतान करने का दायी होगा।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट शास्ति का प्रशमन नगर आयुक्त द्वारा किया जा सकेगा।

धारा 208 का प्रतिस्थापन

12–मूल अधिनियम की धारा 208 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"208–नगर आयुक्त धारा 207 के अधीन तैयार की गई सूची का प्रकाशन नियमावली में विहित रीति के अनुसार करेगा।"

सूची का प्रकाशन

धारा 209 का प्रतिस्थापन

13–मूल अधिनियम की धारा 209 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात :–

"209–नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, नियमावली में विहित रीति के अनुसार आपत्तियों का निपटारा करेगा।"

प्रस्तावित दरों तथा सूची पर आपत्तियां

धारा 210 का संशोधन

14–मूल अधिनियम की धारा 210 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात :–

"(1) नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी यथास्थिति, नगर या उसके किसी भाग की क्षेत्रवार किराया दरों और निर्धारण सूची को अपने हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित करेगा।"

धारा 213 का संशोधन

15–मूल अधिनियम की धारा 213 में, उपधारा (1) में शब्द "कार्यकारिणी समिति अथवा एतदर्थ नियुक्त की गयी उसकी कोई उपसमिति" के स्थान पर शब्द "नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी" रख दिये जायेंगे।

धारा 214 का प्रतिस्थापन

16–मूल अधिनियम की धारा 214 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात :–

"214–(1) जब किसी भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण अथवा उसमें कोई विस्तार उसके स्वामी या अध्यासी द्वारा किया जाय और आच्छादित क्षेत्रफल 25 प्रतिशत से अधिक हो जाय, तो वह समापन के दिनांक के अथवा अध्यासन के दिनांक के, जो भी पहले हो, साठ दिन के भीतर नगर आयुक्त को उसकी सूचना विहित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से देगा।

संशोधन के प्रयोजनों के लिए सूचना देने की बाध्यता

(2) ऐसे स्वामी या अध्यासी, जो बिना उचित कारण के उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना प्रस्तुत नहीं करते हैं, ऐसे जुर्माने से, जो निर्धारित सामान्य कर के दोगुना के बराबर की धनराशि या 500 रु० प्रतिदिन जो भी कम हो, तक हो सकता है, दण्डित किये जाने के भागी होंगे।

(3) नगर आयुक्त उपधारा (2) के अधीन प्रस्तावित शास्ति का प्रशमन कर सकेगा।''

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 29 सन् 2003

17–(1) उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2003 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 20 सन् 2002

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2003

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2002 या उत्तर प्रदेश नगर निगम संशोधन अध्यादेश, 2003 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम में उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

उद्देश्य और कारण

नगर निगम के कतिपय पदों के नामों में देश के अन्य निगमों के साथ एकरूपता लाने और वर्तमान स्थिति में उपबंधों को और अधिक प्रभावी और व्यवहार्य बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) को संशोधित करने के लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 20 सन् 2002) और उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2003) को क्रमशः दिनांक 21 नवम्बर, 2002 और 8 अप्रैल, 2003 को प्रख्यापित किया गया था। उक्त अध्यादेशों के उपबन्धों को उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2003 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 29 सन् 2003) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था किन्तु उसे विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सका और उसका लोप कर दिया गया। अब, यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम को भूतलक्षी प्रभाव से अर्थात् 21 नवम्बर, 2002 से, संशोधित करके निम्नलिखित व्यवस्था की जाय :–

(1) नगर निगमों के कतिपय पदों के नामों में परिवर्तन किया जाना;

(2) किसी नगर निगम में एक से अधिक अपर नगर आयुक्त के लिए उपबन्ध किया जाना;

(3) नगर निगम के सदस्यों की कुल संख्या के तीन-चौथाई बहुमत द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करके राज्य सरकार द्वारा महापौर को हटाया जाना;

(4) कतिपय ऐसे कृत्यों को अन्तःस्थापित किया जाना जो किसी निगम के पार्षद, उपमहापौर या महापौर के रूप में बने रहने या चयनित किये जाने के लिए किसी व्यक्ति को निरर्हित करते हैं;

(5) संविदाओं के निष्पादन और प्राक्कलनों की संस्वीकृति के सम्बन्ध में महापौर, निगम और नगर आयुक्त की वित्तीय अधिकारिता में वृद्धि किया जाना;

(6) सम्पत्ति कर के अधिरोपण और उसकी वसूली की प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाना।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2004 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
धर्मवीर शर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 1233 (2)/VII-V-1–1(KA) 27-2004

Dated Lucknow, August 12, 2004

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Nigam (Sanshodhan) Adhiniyam, 2004 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 16 of 2004) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 11, 2004 :

THE UTTAR PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ACT, 2004

(U.P. ACT NO. 16 OF 2004)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fifth Year of the Republic of India as follows:–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2004.

(2) It shall be deemed to have come into force on November 21, 2002.

General Amendment in U. P. Act no. II of 1959

2. In the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, hereinafter referred to as the principal Act, *for* the words "Mukhya Nagar Adhikari", "Apar Mukhya Nagar Adhikari", "Upa Nagar Adhikari", "Sahayak Nagar Adhikari", "Nagar Pramukh", "Upa Nagar Pramukh'', "Sabhasad" and "Sabhasads", wherever occuring, including headings, sub-headings and marginal headings, the words, "Municipal Commissioner", "Additional Municipal Commissioner", "Deputy Municipal Commissioner", "Assistant Municipal Commissioner", "Mayor", "Deputy Mayor", "Corporator" and "Corporators" shall respectively be *substituted.*

Amendment of section 5

3. In section 5 of the principal Act, *for* clause *(d)* the following clause shall be *substituted,* namely:–

"(d) a Municipal Commissioner and one or more Additional Municipal Commissioner appointed for the Corporation under this Act."

Amendment of section 16

4. In section 16 of the principal Act,—

(a) in sub-section (14) *for* the words "together, in the event of the motion of non-confidence having been carried out with a report whether or not the Upa Nagar Pramukh has forwarded his resignation in accordance with the provisions of sub-section (17) *read* with section 19" the words "in the event of the motion of non-confidence having been carried" shall be *substituted".*

(b) after sub-section (14) the following sub-section shall be *inserted,* namely:–

"(14-A) *(a)* the State Government shall, after considering the report of the Commissioner referred to in sub-section (14) on merits shall take decision within one month;

(b) in case the non-confidence motion against a Mayor is rejected by the State Government, no notice of any subsequent motion of non-confidence in that Mayor shall be received within a period of one year from the date of such rejection."

(c) in sub-section (15) *for* the word "two-third" the word "three-fourth" shall be *substituted;*

(d) in sub-section (16) *for* the word "two-third" the word "three-fourth" shall be *substituted.*

Amendment of section 25

5. In section 25 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1), *for* clause *(d)*, the following clause shall be *substituted*, namely :-

"*(d)* is in the service of a State Government or the Central Government or any local authority or any undertaking or body owned or controlled by the State Government or the Central Government or is a District Government Counsel or an Additional or Assistant District Government Counsel or an Honorary Magistrate or an Honorary Munsif or an Honorary Assistant Collector".

(b) in sub-section (4), *after* clause *(ii)* the following clauses shall be *inserted*, namely :-

"*(iii)* has created an obstacle in a meeting of the Corporation in such manner that it becomes impossible for the Corporation to conduct its business in the meeting or instigated some one to do so; or

(iv) has misbehaved with any officer or employee of the Corporation; or

(v) has directly or indirectly caused any loss or damage to any property of the Corporation or abets any other person to cause such loss or damage; or

(vi) is convicted for an offence which, in the opinion of the State Government involves moral turpitude;".

Amendment of section 132

6. In section 132 of the principal Act,-

(a) after sub-section (3), the following sub-section shall be *inserted*, namely :-

"(3-A) No contract involving an expenditure exceeding two lakh rupees and not exceeding four lakh rupees shall be made by the Municipal Commissioner unless it has been sanctioned by the Mayor.";

(b) in sub-section (4), *for* the words "five lakh rupees", the words "eight lakh rupees" shall be *substituted.*

(c) in sub-section (5), *for* the words "fifty thousand rupees" the words "one lakh rupees" and *for* the words "one lakh rupees", the words, "two lakh rupees" shall be *substituted.*

(d) after sub-section (6) the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(7) The State Government may, by notification in the *Gazette*, modify the monetary limits specified in sub-section (3) or sub-section (4) or sub-section (5) keeping in view the rise in costs or the exigencies of work and efficiency of Corporations."

Amendment of section 135

7. In section 135 of the principal Act,–

(a) in the marginal heading *for* words "five lakh rupees" the words "eight lakh rupees" shall be *substituted.*

(b) in sub-section (1),–

(i) for the words "one lakh rupees" the words "two lakh rupees" shall be *substituted.*

(ii) the proviso shall be *omitted.*

(c) after sub-section (1) the following sub-section shall be *inserted,* namely :–

"(1-A) the Mayor may sanction any estimate not exceeding four lakh rupees."

Amendment of section 136

8. In section 136 of the principal Act,–

(a) in the marginal heading *for* the words "five lakh rupees" the words "eight lakh rupees" shall be *substituted;*

(b) in sub-section (1), *for* the words "five lakh rupees" the words "eight lakh rupees" shall be *substituted;*

(c) in sub-section (2), in clause *(a) for* the words "ten lakh rupees" the words "sixteen lakh rupees" shall be *substituted.*

Amendment of section 177

9. In section 177 of the principal Act,–

(a) for clause *(c)* the following clause shall be *substituted,* namely:–

"*(c)* building solely used as schools and Intermediate colleges whether aided by the State Government or not;"

(b) for clause *(h)* the following clause shall be *substituted,* namely:–

"*(h)* residential buildings occupied by the owner of building, which is located in such area which has been included in the limit of Corporation within five years or the facilities of roads, drinking water and street light provided in the area, whichever is earlier".

Substitution of section 207

10. *For* section 207 of the principal Act, the following section shall be *substituted,* namely:–

"207-The Municipal Commissioner shall cause areawise rental rates and an assessment list in the city or part thereof to be prepared from time to time, in accordance with the manner prescribed in the Rules."

Preparation of assessment list

Insertion of new section 207-B

11. *After* section 207-A of the principal Act, the following section shall be *inserted,* namely:–

"207-B (1) For the purposes of annual rental value, the owner or the occupier of every house or land shall submit a property return upto a date as may be prescribed.

Submission of the details of houses or lands for assessment of tax

(2) Any person failing to submit the return referred to in sub-section (1) without proper reasons shall be liable to pay penalty as may be prescribed.

(3) The penalty referred to in sub-section (2) may be compounded by the Municipal Commissioner".

Substitution of section 208

12. *For* section 208 of the principal Act, the following section shall be *substituted,* namely:–

"208-The Municipal Commissioner shall publish the list prepared under section 207 in accordance with the manner prescribed in the rules."

Publication of list

Substitution of section 209

13. *For* section 209 of the principal Act the following section shall be *substituted*, namely:–

"209-The Municipal Commissioner or an officer authorised by him in this behalf shall dispose off the objections in accordance with the manners prescribed in the rules."

Objections on proposed rates and list

Amendment of section 210

14. In section 210 of the principal Act, *for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted*, namely:–

"(1) The Municipal Commissioner or an officer authorised by him in this behalf, shall authenticate by his signature the areawise rental rates and the assessment list of the city or any part thereof, as the case may be."

Amendment of section 213

15. In section 213 of the principal Act, *for* sub-section (1) *for* the words "The Executive Committee or a sub-committee thereof appointed in this behalf," the words "The Municipal Commissioner or an officer authorised by him in this behalf" shall be *substituted*.

Substitution of section 214

16. *For* section 214 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:–

"214-(1) When any building is constructed or reconstructed or any addition is made thereto by an owner or occupier and the covered area exceeds by more than 25 per cent then it shall be compulsory for him to submit its information to the Municipal Commissioner within sixty days of the date of completion or date of occupation whichever is earlier, in the prescribed form.

obligation to supply informations for purpose of amendment

(2) The owners or occupiers, who do not submit information referred to in sub-section (1) without proper reasons, shall be liable to be punished with fine which may extend to an amount equal to double of the assessed general tax or Rs. 500.00 per day of the delay whichever is less.

(3) The Municipal Commissioner may compound the proposed penalty under sub-section (2)."

Repeal and Savings

17. (1) The Uttar Pradesh Municipal Corporation (Amendment) (Second) Ordinance, 2003 is hereby repealed.

U. P. Ordinance no. 29 of 2003

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provision of the principal Act as amended by Ordinance referred to in sub-section (1), or by the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2002 or by the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2003 shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of principal Act as amended by this Act as if the Act were in force at all material times.

U. P. Ordinance no. 20 of 2002

U. P. Ordinance no. 8 of 2003

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to bringing uniformity with other Corporations of the Country in the names of certain offices of the Municipal Corporation and making the provisions more effective and practicable in the present situation, the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2002 (U. P. Ordinance no. 20 of 2002) and the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2003 (U. P. Ordinance no. 8 of 2003) were promulgated on November 21, 2002 and April 8, 2003 respectively to amend the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (U. P. Act no. 2 of 1959). The provisions of the said Ordinances were replaced by the Uttar Pradesh Municipal Corporations (Amendment) (Second) Ordinance, 2003 (U. P. Ordinance no. 29 of 2003) but it could not be replaced by an Act of the Legislature and was allowed to be lapsed. Now it has been decided to amend the said Act with retrospective effect *i. e.* with effect from November 21, 2002 to provide for,–

1. changing the names of certain offices of the Municipal Corporations;

2. making provision for more than one Additional Municipal Commissioner in a Municipal Corporation;

3. removal of Mayor by the State Government after considering the motion of no-confidence passed by the three-fourth majority of the total number of the members of the Corporation;

4. insertion of certain acts which also disqualify a person from being or from being chosen as the Corporator, a Deputy Mayor or Mayor of a Corporation;

5. increasing financial jurisdiction of the Mayor, the Corporation and the Municipal Commissioner in relation to the execution of contracts and sanction of estimates;

6. changing the procedure of imposition and realization of property tax.

The Uttar Pradesh Municipal Corporations (Amendment) Bill, 2004 is introduced accordingly.

By order,

D. V. SHARMA,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 336 राजपत्र (हिन्दी)–2004–(870)–597–(कम्प्यूटर / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 152 सा० विधा०–2004–(871)–850–(कम्प्यूटर / आफसेट)।